न्यायाः—विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0) समक्ष — वीरेन्द्र सिंह राजपूत विशेष सत्र प्रकरण क0 156/2012 संस्थापन दिनांक—13—09—2012

// निर्णय// (आज दिनांक 13.09.2017 को घोषित किया गया)

- 01. आरोपी के द्वारा उसे प्रदत्त विद्युत कनेक्शन पर विद्युत विल की राशि बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 04.07.2012 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 30.07.2012 को आरोपी के द्वारा उक्त कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में आरोपी पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)ख का आरोप लगाया है।
- 02. परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी जो कि म0प्र0म0क्षे0 विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मालनपुर में किनष्डयंत्री के पद पर पदस्थ था जो कि परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता मोतीराम जाटव पुत्र श्रीलाल जाटव निवासी जाटव मोहल्ला मालनपुर जिला भिण्ड को विद्युत कनेक्शन कमांक 71–01–3268 डी.एल. घरेलू प्रकाश

हेतु दिया गया था। उक्त कनेक्शन पर बिल की बकाया राशि रूपए 85,953 / — रूपए होने से और बिल जमा न करने के कारण उसे दिनांक 04.07.2012 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस भेजा गया। तत्पश्चात् दिनांक 20.07.2012 को उक्त कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया और विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश आरोपी को दिया गया। दिनांक 30.07.2012 को कनिष्टयंत्री हरीश मेहता एवं अन्य कर्मचारी एम.एल. शर्मा, रामजीलाल व अखिलेश तिवारी के साथ आरोपी के उक्त कनेक्शन को पुनः निरीक्षण करने पहुँचे तो पया कि आरोपी ने उक्त कटे हुए कनेक्शन को पुनः आपराधिकृत रूप से एल.टी. लाइन से सीधे पी.बी.सी. के तार जोडकर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाया गया। जिस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवादपत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138(1)ख के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोप आरोपित कर पढ़कर सुनाया, समझाया गया तो आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक अंकित किया गया तत्पश्चात् परिवादी की ओर से साक्षी हरीश मेहता प०सा० 1, अखिलेश तिवारी प०सा० 2 एवं मोहनलाल शर्मा प०सा० 3 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते है :

- 01. क्या आरोपी परिवादी कम्पनी का विधिवत वैध कनेक्शनधारी है?
- 02. क्या आरोपी का विद्युत कनेक्शन बिल की बकाया राशि होने के कारण काट दिया गया था?
- 03. क्या आरोपी ने कटे हुए विद्युत कनेक्शन को पुनः जोडकर अनाधिकृत रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया?
- 04. दण्डादेश यदि कोई हो?

//साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष//

नोट:- उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित है, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

- 05. प्रकरण में परिवादी की ओर से आरोपी मोतीराम को विद्युत कनेक्शन क्रमांक 71—1—3268 प्रदाय किये जाने का आधार लिया है। इस संबंध में साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 के कथन रहे है। घटना के संबंध में साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह दिनांक 30.07.2012 को मालनपुर में कनिष्ठयंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह आरोपी मोतीराम के परिसर में निरीक्षण के लिए गया था और निरीक्षण के दौरान परिसर में विद्युत चालू पाई गई थी। तत्पश्चात् उसने अपने साथ गए साक्षी एम.एल. शर्मा लिपिक एवं अखिलेश तिवारी लाइनमेन एवं रामजीलाल लाइनमेन की उपस्थित में मौके पर प्र.पी. 3 का पंचनामा तैयार किया था।
- 06. साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि आरोपी को प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 71—1—3268 पर 85,953/— रूपए बकाया हो गए था, इसी कारण उसे प्र.पी. 1 का नोटिस दिया गया था जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। तत्पश्चात् राशि जमा न करने के कारण पोल से दिनांक 20.07.2012 को कनेक्शन विच्छेदित कर दिया था जिसकी सूचना प्र.पी. 2 उसके हस्ताक्षर से जारी की गई थी।
- 07. प्र.पी. 1 का राशि बकाया जमा करने का नोटिस पडोसी किराएदार रामरूप पर तामील किया जाना दर्शाया गया है। प्र.पी. 1 का नोटिस साक्षी अखिलेश तिवारी प0सा0 1 के द्वरा तामील किया जाना दर्शाया है। इस साक्षी ने पअने कथनों में प्र.पी. 2 का नोटिस वितरण हेतु प्राप्त होने संबंधी तथ्य की पुष्टि की है। इस साक्षी ने अपने कथनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसके वितरण के पश्चात् जब वह जाटव मोहल्ला में गया था तो वहाँ पर आरोपी के द्वारा पी.बी.सी. के तार डालकर विद्युत चोरी की जा रही थी।

- 08. मौके पर निरीक्षण एवं कनेक्शन कटा होने के पश्चात् भी कनेक्शन जुडा पाये जाने के तथ्य की पुष्टि निरीक्षण दल के साथ गए साक्षी मोहनलाल शर्मा प0सा0 3 द्वारा भी अपने कथनों में की गई है तथा मौके पर ही प्र.पी. 3 का पंचनामा तैयार किया गया है। आरोपी को प्र.पी. 2 की सूचना दी गई थी, इस तथ्य की पुष्टि साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 एवं अखिलेश तिवारी प0सा0 2 के द्वारा अपने कथनों में की गई है। हालांकि साक्षी अखिलेश तिवारी प0सा0 2 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसके द्वारा कनेक्शन विच्छेदित नहीं किया गया था, किन्तु प्र.पी. 2 के नोटिस पर स्पष्टतः बकाया राशि जमा न करने के आधार कनेक्शन विच्छेदित किये जाने की सूचना आरोपी को दी जाना लेख है।
- 09. बचाव पक्ष की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत परिवादी साक्षियों को इस आशय की चुनौती नहीं दी गई है कि आरोपी वैध कनेक्शनधारी नहीं है। प्रकरण में परिवादी साक्षियों को इस आशय की भी चुनौती नहीं दी गई है कि आरोपी पर विद्युत की बकाया राशि नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण रिकार्ड पर नहीं है कि आरोपी परिवादी कम्पनी का वैध विद्युत कनेक्शधारी नहीं था और उस पर बकाया राशि नहीं थी। प्रकरण में परिवादी साक्षियों के कथनों की पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी होती है कि आरोपी को राशि बकाया का नोटिस दिया गया था, तत्पश्चात् राशि जमा न होने पर विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था।
- 10. यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आरोपी स्वयं वैध विद्युत कनेक्शनधारी होकर परिवादी कम्पनी का उपभोक्ता है। ऐसी स्थिति में आरोपी की पहचान व परिसर की पहचान के संबंध में कोई संदिग्धता नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से परिवादी के अधिकारी अपने उपभोक्ता के परिसर व उपभोक्ता को अच्छे से पहचानते है।
- 11. प्रकरण में निरीक्षण के दौरान मौके पर आरोपी के पुत्र संतोष के मिलने संबंधी कथन साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 के रहे है। प्रकरण में साक्षियों ने कोई जप्ती की कार्यवाही मौके पर न करने का कारण विरोध होना अपने कथनों में व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में जिन दो तारों को डालकर सीध

खम्बे से तार जोडे गए थे उनकी जप्ती न करना परिवादी साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं माना जा सकता है।

- बचाव पक्ष की ओर से प्रमुख रूप ऐ यह आधार लिया गया है कि तीनों साक्षी परिवादी 12. कम्पनी के विभगीय साक्षी होकर हितबद्ध साक्षी है, किन्तु बचाव पक्ष के उक्त तर्कों पर विचार किया जाए तो परिवादी साक्षियों के आरोपी के विरुद्ध बोलने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में ऐसी भी परिस्थिति नहीं है और न ही इस आशय की कोई साक्ष्य है कि आरोपी की परिवादी साक्षियों से कोई पूर्व की रंजिश या व्यमनसता रही हो। ऐसी स्थिति में निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा आरोपी को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त करने के कोई आधार दर्शित नहीं होते है। अतः प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस संबंध में विश्वसनीय है कि आरोपी परिवादी कम्पनी का उपभोक्ता होकर विद्युत कनेक्शनधारी था जिस पर राशि बकाया होने के कारण विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था, किन्तु उसके उपरांत भी कटे हुए विद्युत कनेक्शन को पुनः चालू कर अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग किया।
- अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में परिवादी आरोपी के विरूद्ध 13. आरोपित अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।
- परिणामतः आरोपी मोतीराम जाटव को विद्युत अधिनियम की धारा 138 (1)ख के आरोप 14. में दोषसिद्ध किया जाता है।
- दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन अस्थाई रूप से स्थगित किया गया। 15. STINIST PO

(वीरेन्द्रसिंह राजपुत) विशेष न्यायाधीश. भारतीय विद्युत अधिनियम गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

पुनश्चय:-

- 16. दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री के०पी०राठौर को सुना गया, उनका कहना है कि आरोपी अत्यन्त निर्धन व्यक्ति है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है तथा वृद्ध है, उसे कम से कम दण्ड से दंडित किया जावे। जबिक परिवादी के अधिवक्ता श्री ए०के० श्रीवास्तव ने इन तकों पर अत्यधिक वल दिया है कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित अपराध को देखते हुए उसे कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।
- 17. प्रकरण की परिस्थिति, प्रावधानित दण्ड को देखते हुए आरोपी मोतीराम को भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 10,000/—(दस हजार रूपए) रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में 01 माह का अतिरिक्त साधारण भुगताए जावे।
- 18. अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर सम्पूर्ण राशि प्रतिकर स्वरूप परिवादी कम्पनी को दिलाई जावे।
- 19. आरोपी जमानत पर है अतः उसके जमानत मुचलके व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।

20. आरोपी के निरोध में रहने के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार किया

जावे।

21. प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। (निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया। एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया)

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0